न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 01/2018 आवंटन निरस्ती

उनवान

1.श्री सत्यनारायण पिता देबीलाल रावणा राजपूत निवासी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	1.श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा 2.श्री शंकर पिता केला भील निवासी केशुविलास तहसील बिजौलिया(राज0)
—— प्रार्थी		——विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 14(4) रा0भू0रा0 आवंटन नियम 1970 विरूद्ध बमामला आवंटन निरस्तीकरण कराये जाने

उपस्थित :– श्री आर0सी0सारस्वत अधि0 प्रार्थी
श्री जे0सी0विजयवर्गीय अधि0 विपक्षी सं0 2

निर्णय

दिनांक 26/07/2018

निगराकार/प्रार्थी की ओर से आवंटन निरस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) रा0भू0रा0अधिनियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम केशुविलास तहसील माण्डलगढ के तत्कालीन समय दिनांक 21.05.1992 को आवंटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष उपजिलाधीश माण्डलगढ द्वारा आराज़ी सं0 198/148 रकबा 5.00 बीघा का आवंटन विपक्षी संख्या 2 काल्पनिक नाम के व्यक्ति को किया गया है जो विधि विपरीत तथा तथ्यों को छिपाते हुए कपट व छलपूर्वक किया गया आवंटन होकर निरस्त योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष दिनांक 21.05.92 को शंकर पिता केला भील के नाम से आवंटन किए जाने बाबत एक प्रार्थनापत्र तथा कथित शंकर के अंगूठा निशानी से बिना किसी दिनांक के आवेदन पत्र से प्रार्थनापत्र पेश हुआ जो आ0नं0 15 मी के आवंटन बाबत था एवं पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट भी आ0नं0 15 मी के सम्बन्ध में ही की गई थी किन्तु आ0नं0 198/148 रकबा 5.00 बीघा का आवंटन विपक्षी सं0 2 के नाम पर कर दिया गया जबकि इस आराजी के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट व प्रार्थनाप्रत्र ही उपलब्ध नहीं था और न ही ग्राम केशुविलास में शंकर पिता केला भील नाम का कोई व्यक्ति सन् 1992 में या उसके बाद व वर्तमान में निवास करता है। उक्त आराजी के पास ही प्रार्थी को सन् 1985 में आवंटित की गई कृषि भूमि खातेदारी व स्वामित्व की आराजीयात स्थित है और उक्त तथाकथित आवंटित भूमि पर सन् 1992 से पूर्व ही प्रार्थी का कब्जा व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। कभी भी तथाकथित शंकर पिता केला भील नामक व्यक्ति का कब्जा व दखल नहीं रहा है। वास्तविक रूप से मौके पर करीब 200 बीघा भूमि प्रार्थी के समाज के करीब 40 व्यक्तियों की कृषि भूमि के रूप में आवंटितशुदा आराजी है, जिसमें विपक्षी सं0 2 नाम के किसी व्यक्ति का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है। इस प्रकार फर्जी व कागजी समस्त आवंटन की कार्यवाही निरस्त योग्य है। वादोक्त आराजी सम्वत् 2049 में आवंटित होकर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं0 2 के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है किन्तु सम्वत् 2050 से 2065 तक विपक्षी सं0 2 आवंटी द्वारा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त आराजी को उन्नत, आबाद वकृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं किया गया है। इस कारण भी किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अपनी खातेदारी भूमि के सीमांकन किए जाने हेतु राजस्व रेकार्ड का अवलोकन दिनांक 13.12.2017 को किए जाने पर इस तथ्य की जानकारी हुई और प्रार्थी ने आवंटन व राजस्व रेकार्ड की नकलें प्राप्त कर यह आवेदन आवंटन काबिल निरस्ती के है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी सं0 2 के पक्ष में तथाकथित किए गए उक्त आवंटन बाबत आ0नं0 198/148 रकबा 5.00 बीघा जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 457/198 दर्ज हुए हैं, को खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थनापत्र बाद जांच प्रस्तुत होने पर दिनांक 10.01.2018 को दर्ज़ रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ। जवाब में बताया कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या गलत होकर स्वीकार नहीं। जवाबदाता को आवंटन कमेटी के द्वारा आ0नं0 198/148 रकबा 5.00 बीघा भूमि का आवंटन किया फिर कपोल कल्पित नाम पर आवंटित किए जाने या छलकपट का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। आवंटन सन् 1992 में हुआ और 24 वर्ष बाद यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ और खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हुआ है । जवाबदाता ने कोई Fourse and Missrepration के आधार पर अलोटमेंट नहीं कराया एक सद्भावी कृषक भूमिहीन व्यक्ति था और आवंटन की पूर्ण पात्रता रखता था इसलिए जमीन अलोट की है। जवाबदाता वर्ष 1992 में केशुविलास में रहता है मौजूदा समय में खान पर मजदूरी करने के कारण मकरेड़ी रह रहा है । बिजौलिया के भूमाफिया मुझ एस0टी0 की जमीन हड़पने की स्थिति से जबरन जमीन से बेदख़ाल कर नाजायज कब्जा करना चाहता है इसलिए यह झूंठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी को आवंटन के समय आपत्ति की जानी चाहिए थी जो नहीं कर यह झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है। 26 वर्ष बाद यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो खारिज किये जाने योग्य है। आवंटन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है न ही फर्जी आवंटन है। मजीद कथन में कहा कि प्रार्थनापत्र बेरून मियाद है और जवाबदाता अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है इसलिये आज दिन तक खातेदारी अधिकार पात्रता रखते हुए भी नहीं दिये है जो प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति है जो धारा 182 के तहत जमीन का कब्जा सुरक्षा के लिये प्रोटेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रस्तुत जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ की आवंटन पत्रावली संख्या 116/92 की प्रमाणित फोटो प्रति, नकल जमाबन्दी ग्राम केशुविलास सम्वत् 2070 से 73, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2050 से 53, सम्वत् 2054 से 57 व सम्वत् 2058 से 61 प्रस्तुत की गई। विपक्षी अप्रार्थी संख्या 02 ने श्रीपाल पिता रतनलाल नलवाया निवासी बिजौलिया का शपथ–पत्र ऑथकमिश्नर से प्रमाणित, श्री शंकर पिता केला भील निवासी मकरेड़ी के राशनकार्ड व आधारकार्ड की स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी श्री शंकर पिता केला भील जो कि ग्राम केशुविलास का रहने वाला नहीं होकर फर्जी आवंटन कराया है। विपक्षी ने आवेदन ग्राम केशुविलास की आ0नं0 15 के लिए आवेदन किया परन्तु आवेदन में काटफांस

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

की जाकर आ0नं0 198/148 में 5.00 बीघा भूमि आवंटित कर दी जबकि इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विपक्षी शंकर भील का आवंटित भूमि पर कभी कब्जा ही नहीं रहा है एवं आवंटन से आज दिनांक तक कभी किसी प्रकार की काश्त नहीं की न ही इसे उपजाउ किया है। विपक्षी के द्वारा काश्त नहीं किए जाने व कब्जा नहीं होने से भूमि आज भी गैरखातेदारी से दर्ज चली आ रही है। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे। बहस में विपक्षी अधिवक्ता ने बताया कि विपक्षी शंकर अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति होकर केशुविलास का निवासी है परन्तु अपने परिवार के लालन पालन हेतु मजदूरी करने के लिए मकरेड़ी में रहने लग गया है जिसका राशन कार्ड व आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। भूमि केशुविलास में आवंटन कमेटी के द्वारा विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर आवंटन किया है। मैं अनपढ होने से आवेदन भी सन् 1992 में बिजौलिया के नलवाया जी से भरवाया था इसकी पुष्टि में श्रीपाल जी नलवाया का शपथ पत्र पेश किया है जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र में यह अंकित किया है कि विपक्षी शंकर को भूमि आवंटन के लिए आवेदन मेरे द्वारा भरा गया था। आवंटित भूमि पर कब्जा श्री शंकर का ही है। इस प्रकार आवंटन विधिवत हुआ है परन्तु विपक्षी मजदूरी के लिए बाहर रहने से एवं नियमों की जानकारी नहीं होने से मेरे को खातेदारी नहीं दी जा रही है। प्रार्थी ने मेरी भूमि को हड़पने की नियत से यह झूंठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो 26 वर्ष बाद पेश किया। यदि आवंटित भूमि पर उसका कब्जा था तो उसके द्वारा वक्त आवंटन आपत्ति की जानी चाहिए थी परन्तु ऐसा नहीं किया । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के द्वारा ग्राम केशुविलास की आ0नं0 15 मी में से आवंटन चाहा गया परन्तु पत्रावली में जो आवेदन पत्र संलग्न है उसमें 15 मी पर गोला किया हुआ है एवं आ0नं0 198/148 अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी आ0नं0 15 मी का भी अंकन है एवं अन्त में 198/148 भी अंकित है। आवंटी साक्षर नहीं है उसे नम्बरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिस व्यक्ति के द्वारा आवंटन का आवेदन भरकर प्रस्तुत किया उसने अपना शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है एवं ग्राम केशुविलास की आ0नं0 198/148 में 5.00 बीघा भूमि आवंटन हेतु भरकर प्रस्तुत किया जाना स्वीकार किया है। इसके खण्डन में प्रार्थी के द्वारा कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आवंटन कमेटी की सिफारिश में भी आ0नं0 198/148 ही अंकित है एवं आवंटन आदेश में भी आ.नं0 198/148 रकबा 5.00 बीघा ही अंकित है इसमें किसी प्रकार की काट फांस नहीं है जो सन्देहास्पद प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त विपक्षी शंकर केशुविलास का रहने वाला नहीं है इसकी पुष्टि भी शपथ कर्ता श्रीपाल पिता रतनलाल नलवाया निवासी बिजौलिया ने की है। जिन्होंने अपने शपथपत्र में लिखा है कि श्री शंकर पिता केला भील केशुविलास का निवासी है वह वर्तमान में मजदूरी करने के लिए मकरेड़ी मे रहने लग गया है। प्रार्थी के द्वारा विपक्षी शंकर पिता केला भील केशुविलास का कभी निवासी नहीं रहा हो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रमाण–पत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह पुष्टि हो सके कि विपक्षी शंकर पिता केला भील नाम का व्यक्ति केशुविलास में नहीं है। इस प्रकार उक्त कथन निराधार होकर खारिज योग्य है। प्रार्थी ने आवंटित आ0नं0 198/148 पर स्वयं का वर्ष 1992 से पूर्व से ही अपना कब्जा बता रहा है परन्तु इसकी ताईद में किसी प्रकार की

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नाजायज कब्जे सम्बन्धी पैनल्टी की रसीदें या आदेशिका की प्रतियां प्रस्तुत नहीं की है यहां तक अपने कब्जे की ताईद में किसी स्वतंत्र गवाह के शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए जिससे वादोक्त भूमि पर प्रार्थी(निगराकार) का कब्जा किसी तरह से सिद्ध नहीं होता है। आवंटन कमेटी के समक्ष भी प्रार्थी के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। विपक्षी को आवंटन कमेटी के द्वारा वर्ष 1992 यानि सम्वत् 2049 को ग्राम केशुविलास की आ0नं0 198/148 में 5.00 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटित भूमि का कब्जा दिनांक 26.06.1992 को दिया जिसका सिपुर्दगीनामा पत्रावली में संलग्न है । उक्त सिपुर्दगीनामा पर विपक्षी शंकर की अंगूठा निशानी अंकित है। इस प्रकार यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि केशुविलास में श्री शंकर पिता केला भील रहता था जिसे आवंटन कमेटी के द्वारा विधिवत आवंटन किया गया है। वर्ष 1992 से आज दिनांक तक उक्त आवंटन को न तो निरस्त किया न ही भूमिधारी के द्वारा भी उक्त आवंटन के विरूद्ध आवंटन निरस्ती हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) ही प्रस्तुत किया है। चूंकि आवंटन वर्ष 1992 का होकर सम्वत् 2049 का है जिसे आज लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं परन्तु पत्रावली पर प्रस्तुत जिन्स गिरदावरी सम्वत् 2050 से लगायत 2061 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटी विपक्षी श्री शंकर पिता केला भील के द्वारा कभी काश्त किया जाना सिद्ध नहीं होता है। जैसाकि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 के उप नियम 3 के अनुसार आवंटिति को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और शेष क्षैत्र को दूसरे वर्ष में सम्पूर्ण रकबे पर काश्त किया जाना आवश्यक है। अर्थात आवंटन 1992 का है जिसे आवंटी को वर्ष 1993 या 94 तक सम्पूर्ण रकबे पर काश्त किया जाना आवश्यक था परन्तु यहां पर प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों की प्रमाणित प्रतियों से यह स्पष्ट होता है कि आवंटी के द्वारा आज दिनांक तक भी आवंटित रकबे पर किसी प्रकार की काश्त नहीं की है जो आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार जांच करें और यदि आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना किया जाना नहीं पाया जावे तो नियमानुसार आवंटन निरस्ती का प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करें। प्रार्थी वादोक्त भूमि पर अपने कब्जे को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतएव–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम आवंटन नियम 1970 को खारिज किया जाता है। एवं तहसीलदार बिजौलिया को यह निर्देश दिये जाते है कि ग्राम केशुविलास की आ0नं0 198/148 रकबा 5.00 बीघा भूमि जो श्री शंकर पिता केला भील निवासी केशुविलास हाल मकरेड़ी को वर्ष 1992 में आवंटित की गई उसकी मौके एवं रिकॉर्ड अनुसार जांच करें एवं आवंटन शर्तों का उल्लंघन पाया जावे तो नियमानुसार आवंटन निरस्ती का प्रकरण तैयार कर भिजवावें। अधीनस्थ न्यायालय से तलबिदा रिकॉर्ड मय आदेश की प्रति के साथ पुनः भिजवाया जावे। आदेश आज दिनांक 26 /07/2018 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा